न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट कैम्प/ शिविर – चौपडा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 83/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. विशनाराम पुत्र कनीराम 2. काली देवी पत्नी विशनाराम जातिगण जाट, निवासीगण नयागांव, तहसील सोजत, जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय : दिनांक – 25.10.2021

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम नयागांव, पटवार हल्का नयागांव, तहसील सोजत में वादीगण की खातेदारी सुदा कब्जा सुदा कृषि भूमि खसरा नंबर 432 रकबा 0.1500 हैक्टर, खसरा नंबर 433 रकबा 0.2300 हैक्टर, तथा खसरा नंबर 434 रकबा 0.6000 हैक्टर किस्म नहरी व खसरा नबर 101/775 रकबा 0.6800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम तथा सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी, पटवार हल्का नयागांव, तहसील सोजत में खसरा नंबर 758/2 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा व खसरा नंबर 544 रकबा 2.5000 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नंबर 786 रकबा 2.0000 हैक्टर किस्म नहरी की आई हुई है, उपरोक्त कृषि भूमि में राजस्व अधिकारियों की गलती से वादी संख्या 1 व 2 के नाम उपरोक्त कृषि भूमि सरहद नयागांव में गलत रूप से दर्ज कर दिये गये है। उपरोक्त खसरो में कृषि भूमि में वादी संख्या 2 के पति का नाम विशनाराम है, जो वादी संख्या 1 है। परन्तु राजस्व अधिकारीयों की गलती से उक्त खसराजात भूमि में वादी संख्या 2 के पति का नाम किशनाराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जबकि वादी संख्या 2 के पति का नाम विशनाराम है। इसी प्रकार सरहद चान्दासनी पटवार हल्का नयागांव मे वादी संख्या 2 का नाम काली देवी पत्नी विशनाराम की जगह कालु पत्नी विशनाराम लिख दिया गया है। जो गलत है। वादी संख्या 2 का नाम काली देवी पत्नी विशनाराम है। सरहद नयागांव पटवार हल्का नयागांव मे खसरा नंबर 101/775 रकबा 0.6800 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में वादी का विशनाराम की जगह किशना पुत्र कनीराम गलती से लिख दिया गया है, जबकि वादी का नाम विशनाराम पुत्र कनीराम है। सरहद चान्दासनी पटवारी हल्का नयागांव में खसरा नंबर 758/2 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा में राजस्व अधिकारीयों की गलती से वादी का नाम किशनालाल पुत्र कनीराम लिख दिया गया है, जबकि वादी का सही नाम विशनाराम पुत्र कनीराम है। उपरोक्त तमाम गलती राजस्व अधिकारीयों के द्वारा वक्त सेटलमेंट व उसके बाद नियमित रूप से की गई है। उपरोक्त गलती सुधारने हेतु वादीगण के द्वारा कई बार राजस्व अधिकारीयों को कहा गया, विनती भी की गई, बावजूद कहने के भी प्रतिवादी के द्वारा उपरोक्त नामों

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मे सुधार रेवेन्यू रेकर्ड में नहीं किया गया है। इसलिये पैरा संख्या 2,3 व 4 में वर्णित खसराजात की कृषि भूमि में वादी संख्या 1 व 2 के लिये जो गलत लिख दिये गये है, उसको दुरस्त कर सही नाम किशनाराम की जगह बिशनाराम व कालु की जगह काली देवी पत्नी बिशनाराम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज करने हेतु वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश है। वादीगण अपने खातेदारी भूमि में कई सालों से कब्जा काश्त करते आ रहे है व वादी संख्या 1 व 2 के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज में सही नाम बिशनाराम पुत्र कनीराम व काली देवी पत्नी बिशनाराम दर्ज है। जिसकी फोटो कॉपी वाद के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं उक्त राजस्व रेकर्ड मे जिसका विवरण पैरा नंबर 2 से 4 में उल्लेख किया गया है में राजस्व रेकर्ड मे दुरस्ती करते हुये वादी संख्या 1 व वादी संख्या 2 का नाम बिशनाराम पुत्र कनीराम व काली देवी पत्नी बिशनाराम घोषित करने हेतु वादी विरूद्ध प्रतिवादी 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत है। वादी संख्या 1 की उम्र 65 वर्ष व वादीया संख्या 2 की उम्र 63 वर्ष है, जो वृद्ध है, इस कारण से प्रतिवादी के खिलाफ वाद करने से पूर्व 80 सी.पी.सी. का नोटिस आवश्यक होता है, परन्तु वादी संख्या 1 व 2 ज्यादा वृद्ध होने से इस वाद को अर्जेन्ट नेचर में शुमार करने हेतु 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र साथ में प्रस्तुत किया जा रहा है। बिनायदावा दिनांक 22/09/2011 को वादीगण के द्वारा राजस्व अधिकारीयों को दुरस्ती हेतु कहा गया व उसके पूर्व भी कही बार दुरस्ती हेतु कहा गया था, परन्तु बार बार कहने के उपरान्त भी रेवेन्यू रेकर्ड मे आवश्यक दुरस्ती करने से इन्कार करने पर बमुकाम नयागांव व चान्दासनी पैदा हुआ। इस प्रकार वाद विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर सरहद मौजा ग्राम नयागॉव तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 432, 433, 434 मे कालीदेवी पत्नी पत्नी किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम , सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 व 786 में कालु पत्नी विश्नाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम, तथा खसरा नम्बर 758/2 किशनालाल पुत्र कनीराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कनीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत कर वादी स्वयं सिद्ध करे के अंकन के साथ पेश किया जो सामिल मिसल है।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 शिविर ग्राम पंचायत चौपडा में प्रस्तुत हुई। पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित तथ्यों की मौका एवं रेकर्ड अनुसार जॉच हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा गया। तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2021/ 4255 दिनांक 25.140.2021 के जरिये रिपोर्ट पेश की गई , संलग्न पत्रावली है। तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी चौसाला ग्राम नयागांव के खाता नम्बर 36 खसरा नम्बर 432, 433, 434 कुल 3 कुल रकबा 0.9800 हैक्टर में कालीदेवी पत्नि किशनाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार तथा खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 544, 789 कुल रकबा 4.5000 हैक्टर में " कालु पत्नि विशनाराम कौम जाट सा0देह खातेदार दर्ज है। गांव में उपस्थित मौतबिरानों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का मालिक का सही व वास्तविक नाम " कालीदेवी पत्नि विशनाराम है। उक्त भूमि पर कालीदेवी पत्नि विशनाराम का ही कब्जा काश्त है। जो कि बिना किसी विवाद के कब्जा काश्त करते आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में खाता नम्बर 36 में दर्ज कालीदेवी पत्नि किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम तथा खाता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

नम्बर 59 कालू पत्नि विशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम दर्ज होना चाहिए जो कि भूमि मालिक जिनका कब्जा काश्त है का सही व वास्तविक नाम है। प्रार्थी पहचान दस्तोवज आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, भामाशाह कार्ड के आधार पर भी वादीगण का नाम काली देवी पत्नि विशनाराम ही दर्ज है।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम नयागॉव तहसील सोजत में वादीगण की स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 432, 433, 434 मे कालीदेवी पत्नी पत्नी किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विश्नाराम , सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 व 786 में कालु पत्नी विश्नाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम, तथा खसरा नम्बर 758/2 किशनालाल पुत्र कनीराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कनीराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना था किन्तु राजस्व अधिकारीयों द्वारा गलत रूप से वादीगण का नाम दर्ज कर दिये जाने से उन्है कई सरकारी योजनाओं से महरूम होना पडा रहा है। अतः वादीगण का वादपत्र में दर्ज ईश्तदुआ अनुरूप सही एवं वास्तवीक नाम कालीदेवी पत्नि विशनाराम दर्ज किया जावें। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा दुरूस्त इन्द्राज करने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र फहरिस्त दस्तावेजात तथा तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत मौका एवं रेकर्ड की स्थिति रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत फहरिस्त दस्तावेज तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट मय मौका फर्द, ग्राम पंचायत चौपडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से स्पष्ट होता है कि वादीगण का सही एवं वास्तविक नाम कालीदेवी पत्नि विशनाराम है तथा वादस्थ भूमि पर इनका ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु लिपिकिय त्रुटिवश इनका नाम राजस्व रेकर्ड में अलग – अलग दर्ज हो गया। वस्तुतः प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा ग्राम नयागॉव तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 432, 433, 434 मे कालीदेवी पत्नी पत्नी किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विश्नाराम , सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 व 786 में कालु पत्नी विश्नाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम, तथा खसरा नम्बर 758/2 किशनालाल पुत्र कनीराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कनीराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय वादिया का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम नयागॉव तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 432, 433, 434 मे कालीदेवी पत्नी पत्नी किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विश्नाराम , सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 व 786 में कालु पत्नी विश्नाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम, तथा खसरा नम्बर 758/2 किशनालाल पुत्र कनीराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

कनीराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – चौपडा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021/कोर्ट कैम्प, शिविर चौपडा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – चौपडा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिक्री पर्चा

(आ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान / कोर्ट कैम्प– शिविर चोपड़ा

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 विशनाराम पुत्र कनीराम 2 काली देवी पत्नी विशनाराम जातिगण जाट, निवासीगण नयागांव, तहसील सोजत, जिला पाली।		सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट 1955 सपठित धारा 136
एल0आर0एक्ट0 1956

राजस्व वाद संख्या :– 83/2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री कैलाश दवे , अधिवक्ता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा ग्राम नयागॉव तहसील सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 432, 433, 434 मे कालीदेवी पत्नी पत्नी किशनाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विश्नाराम , सरहद मौजा ग्राम चान्दासनी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 544 व 786 में कालु पत्नी विश्नाराम के स्थान पर कालीदेवी पत्नी विशनाराम, तथा खसरा नम्बर 758/2 किशनालाल पुत्र कनीराम के स्थान पर विशनाराम पुत्र कनीराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद दुरूस्त रूप से किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25.10.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प शिविर चौपडा में जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
शिविर – खोखरा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			